न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशोरायपाटन जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी श्री मोहम्मद ताहीर R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसल
78/प्रा0पत्र/2017	14.11.2017	12.07.2019

1. दौलतराम
2. भैरू लाल
3. परमानन्द
4. धनराज

} पिसरान पाथूँ लाल जाति माली निवासी ग्राम तीरथ तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)

5. जानकी बाई पुत्री पाथूँ लाल जाति माली निवासी ग्राम तीरथ तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0) ...प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार सा0 तालेडा ....अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक

अधिवक्ताप्रार्थीः- श्री कुलदीप सिंह गौड

अधिवक्ता अप्रार्थीगणः-

- : : निर्णय : : -

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 135, 136 भू-राजस्व अधिनियम

संक्षेप में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न तथ्य निवेदन किये किः-

1. यह की खतौनी संख्या नई 496 पुरानी 480 की कृषि भूमि ख0सं0 1165 रकबा 2 बीघा, ख0सं0 1166 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, ख0सं0 1212 रकबा 2 बीघा, ख0सं0 1382 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, ख0सं0 2407/1161 रकबा 09 बिस्वा, ख0सं0 2474/1357 रकबा 2 बीघा 08 बिस्वा, ख0सं0 2476/1358 रकबा 13 बिस्वा, ख0सं0 2494/1384 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा किता-8 रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा वाके गाम तीरथ तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0) में स्थित है। उक्त कृषि भूमि में वादीगण के पिता नाम पांच्या आ0 मंगला हिस्सा 1/3 निहित है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीगण के पिता का नाम पांच्या अंकित हो रहा है। जबकि पार्थीगण के पिता का वास्तविक नाम पांचू लाल आ0 मंगला है।
2. यह कि खतौनी सं0 नई 499 पुरानी 482 की कृषि भूमि ख0सं0 2278/794 रकबा 6 बिस्वा, ख0सं0 2394/1152 रकबा 8 बिस्वा किता-2 कुल रकबा 14 बिस्वा वाके ग्राम तीरथ तहसील तालेडा जिला बून्दी में स्थित है। जिसमें पांच्या आ0 मंगला हिस्सा 1/5 निहित है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीगण के पिता का नाम पांच्या अंकित हो रहा है। जबकि प्रार्थीगण के पिता का वास्तविक नाम पांथू लाल आ0 मंगला है।
3. यह कि खतौनी सं0 नई 500 पुराना 483 की भूमि ख0सं0 783 रकबा 11 बिस्वा, ख0सं0 2387/1156 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा कुल किता-2 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम तीरथ तहसील तालेडा जिला बून्दी में स्थित है जिसमें पांचू वल्द मंगला हिस्सा 1/3 निहित है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीगण के पिता का नाम पांचू अंकित हो रहा है जबकि प्रार्थीगण के पिता का वास्तविक नाम पांथू लाल आ0 मंगला है।
4. यह कि प्रार्थीगण के पिता पॉथू लाल आ0 मंगला जी की मृत्यु दिनांक 22.10.2012 को हो चुकी है। जिनके मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 21.01.2013 व परिवार राशन कार्ड सं0 362 इत्यादि सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थीगण के पिता नाम पॉथू लाल आ0 मंगला अंकित हो रहा है।

उप खण्ड अधिकारी
तालेडा

5. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं0 1 लगा0 3 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयों में राजस्व कर्मचारियों की गलती से प्रार्थीगण के पिता नाम त्रुटिपूर्ण नाम पांच्या आ0 मंगला दर्ज हो गया है। जबकि प्रार्थीगण के पिता का वास्तविक नाम पांथू लाल आ0 मंगला है। प्रार्थीगण उक्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड में भी अपने पिता पांच्या के स्थान पर पांथू लाल आ0 मंगला दर्ज करवाना चाहते है।

6. यह कि उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम पांच्या अंकित रहने से प्रार्थीगण को कृषि ऋण प्राप्त करने, उक्त कृषि भूमि से सम्बन्धित सरकारी व अर्द्धसरकारी कार्य करने, जमीन को रहन, विक्रय का पंजीयन करवाने व अपने नाम पर उक्त भूमियों का फौती नामान्तकरण दर्ज करवाने आदि में परेशानियों का सामना करना पडता है। प्रार्थीगण का नाम दुरुस्त करने में कोई कानूनी अड़चन भी नहीं है।

7. यह कि प्रार्थीगण ने अपने पिता के अशुद्ध नाम पांच्या के स्थान पर पांथू लाल आ0 मंगला अंकित करवाने के लिए कई बार राजस्व शिविर प्रभारी व राजस्व कमचारियों व अधिकारियों व अधिकारियों से निवेदन किया लेकिन प्रार्थीगण के पिता का नाम दुरुस्त नही किया गया है। अन्तिम बार प्रार्थीगण ने अक्टूबर सन् 2017 के द्वितीय सप्ताह में श्रीमान तहसीलदार सा0 तालेडा से प्रार्थीगण के पिता का नाम पाच्या आ0 मंगला के स्थान पर सही नाम पाथू लाल आ0 मंगला हेतु कहा तो उन्होने मना कर दिया व कहा कि समक्ष राजस्व न्यायालय द्वारा ही यह नाम त्रुटि दुरुस्त की जा सकती है। यही वाद कारण है जो नाम सही नहीं करने के कारण निरन्तर पैदा हो रहा है।

8. यह कि प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रार्थना पत्र के चरण सं0 1 लगा0 3 में वर्णित कृ षि भूमि के राजस्व रिकार्ड में जमाबन्दी में अपने पिता के नाम पांच्या के स्थान पर पांथू लाल आ0 मंगला अंकित करवाये एवं इस आशय का आदेश व डिक्री आदरणीय न्यायालय से प्राप्त करें।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र के चरण सं0 1 लगा0 3 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीगण के पिता का नाम पांच्या आ0 मंगला के स्थान पर पांथू लाल आ0 मंगला अंकित करने के आदेश व पारित करने की कृपा करे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो वह प्रार्थीगण को प्रदान की जावै।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया । अप्रार्थी जरिये पेरोकार सरकार की और से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की चरण सं0 1 प्रार्थी स्वं0 सिद्ध करें। च0सं0 2 व 3 आंशिक स्वीकार है। च0सं0 4 व 5 स्वंय सिद्ध करें।

साक्ष्य में पार्थी की और से नकल जमाबन्दी खाता सं0 496 ग्राम तीरथ संवत् 2072–75, जमाबन्दी खाता सं0 499 ग्राम तीरथ संवत् 2072–75, जमाबन्दी खाता सं0 500 ग्राम तीरथ संवत् 2072–75, कार्यालय ग्राम पंचायत तीरथ का प्रमाण पत्र दिनांक 31.10.2017, पांथू लाल का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 20.10.2012, परिवार राशन कार्ड की प्रतियाँ पेश की।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी खाता सं0 496 ग्राम तीरथ संवत् 2072–75 में प्रार्थी के पिता का नाम पाच्या आ0 मंगला 1/3 हिस्सा अन्य सहखातेदारान के साथ दर्ज रिकार्ड है, जमाबन्दी खाता सं0 499 ग्राम तीरथ संवत् 2072–75 में पाथ्या आ0 मंगला 1/5 हिस्सा अन्य सहखातेदारान के साथ दर्ज रिकार्ड है, जमाबन्दी खाता सं0 500 ग्राम तीरथ संवत् 2072–75 में पांथू आ0 मंगला 1/3 हिस्सा में सह खातेदार के साथ दर्ज रिकार्ड है। अन्य दस्तावेजात कार्यालय ग्राम पंचायत तीरथ का प्रमाण पत्र दिनांक 31.10.2017, पांथू लाल का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 20.10.2012 से

उप खण्ड अधिकारी
तालेडा

उपखण्ड अधिकारी तालेडा

स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के पिता का शुद्ध नाम पांथू लाल आ0 मंगला अंकित होना पाया जाता है। उक्त विवादित आराजीयात में प्रार्थी के पिता का नाम शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार तालेडा को आदेश दिया जाता है कि नकल जमाबन्दी खाता सं0 496 ग्राम तीरथ संवत् 2072–75, जमाबन्दी खाता सं0 499 ग्राम तीरथ संवत् 2072–75, जमाबन्दी खाता सं0 500 ग्राम तीरथ संवत् 2072–75, में प्रार्थी के पिता का नाम पांच्या, पाथ्या, पांथू हजफ किया जाकर उसके स्थान पर सही नाम पांथू लाल आ0 मंगला दर्ज रिकार्ड किया जावे। शेष इन्द्राज यथावत रहेगा। बैंक का यदि कोई रहन हो तो रहन यथावत रहेगा।

यह निर्णय आज दिनांक 12.07.2019 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

उप खण्ड अधिकारी
तालेडा

उपखण्ड अधिकारी तालेडा